110

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

जिला ग्वालियर (म0प्र0)

श्री आर-एस-सेंगर द्वारा आज दि0 5-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-1-18 नियत।

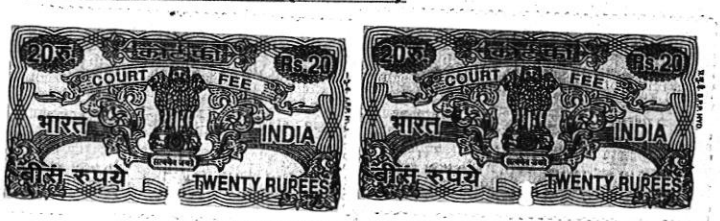

गायत्री देवी पत्नी स्व0श्री चन्द्रिका प्रसाद तिवारी निवासी–गढ़ियाटोला सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0— II/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/0179 आवेदक /निगराकार

बनाम

1. प्रमोद कुमार तिवारी तनय स्व0श्री चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी
2. विनोद तिवारी तनय स्व0श्री चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी
3. देवेश कुमार तिवारी तनय स्व0श्री चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी
4. रूपेश कुमार तिवारी तनय स्व0श्री चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी
5. रवि तिवारी तनय स्व0श्री चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी
6. ममता तिवारी पुत्री स्व0श्री चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी
7. माया मिश्रा पुत्री स्व0श्री चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी पत्नी श्री रामहर्ष मिश्रा, सभी निवासी गढ़ियाटोला सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0---अना0/गैरनिगराकार गण

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व अपील प्र0क्र0 65/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22/12/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक/निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैं:–

गायत्री

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/0179

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
17 –1–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 65/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22.12.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.12.17 में लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण निरंतर उपस्थित होते रहे है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दोनों आवेदन पत्रों को संलग्न कर विधिवत सुनवाई की गई तथा अनावेदक कमांक–1 के पक्ष में नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण के अवलोकन एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलेकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था इसलिये अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना द्वारा धारा –5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना	

का आदेश दिनांक 22.12.17 उचित होने से स्थिर रखने योग्य है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 65/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22.12.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य